Cn- 17277513

मंत्री कोषांग
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना
कम्प्युटरीकृत पावती संख्या.
MORD-ARMS-AID.100 ....
दिनांक: / /2011

कार्यालय लोकपाल (मनरेगा), भागलपुर।

आदेश

शुक्रवार 27, सितम्बर, 2013ई0

मनरेगा शिकायत वाद संख्या– 51/2013 में परिवादी के परिवाद – पत्र का सूक्ष्म अवलोकन, परिवादी का बयान, आरोपित व्यक्तियों के बयानात, अभिलेख का अवलोकन इसकी विवेचना एवं निर्णय का स्वहस्तलिखित आदेश कुल 41 पृष्ट में है। निम्नांकित निर्णय मूल आदेश का अंश है। जो सुगम अवलोकन एवं आगामी ग्राम सभा के पूर्व त्वरित कार्रवाई हेतु प्रस्ततु है।

शिकायतकर्त्ता :– श्री नन्द किशोर राम (सरपंच)
ग्राम– कचहरी अबजूगंज, प्रखंड – सुलतानगंज
जिला – भागलपुर एवं अन्य ग्रामीण।

शिकायत आवेदनः–

मूलतः शिकायत आवेदन –पत्र– श्रीमान् ग्रामीण विकास विभाग मंत्री, पटना को संबोधित है। माननीय मंत्री के आप्त सचिव के द्वारा सचिव ग्रामीण विकास विभाग को संबोधित करते हुए लिखा गया है, कि **"तदनुसार अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से माननीय मंत्री को भी अवगत कराया जाय"**। ग्रा0वि0वि0 बिहार सरकार, पटना के परियोजना निदेशक (डी0पी0ए0पी0) श्री राधाकान्त कुमार के पत्रांक 137828 पटना दिनांक 08.02.2013 जो जिलाधिकारी भागलपुर को संबोधित है एवं इस पत्र के साथ श्री नन्द किशोर राम (सरपंच) ग्राम कचहरी– अबजूगंज, प्रखंड– सुलतानगंज, जिला – भागलपुर एवं अन्य ग्रामीण गण के संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न कर, परागमन शाखा की संख्या 2327 दिनांक 08.02.2013 के द्वारा लोकपाल, भागलपुर को जाँच करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद–पत्र में वर्णित आरोप का मुख्य विन्दु:–

1. मुखिया जूही देवी 02 अक्टूबर 2012 को सम्पन्न आम सभा में उपस्थित नहीं थी।
2. मुखिया के ससुर श्री शंकर साह (भूतपूर्व मुखिया ग्राम पंचायत – अबजूगंज) तथा मुखिया पति आम सभा की बैठक में उपस्थित थे।
3. मनरेगा के संबंध में कोई भी कार्यक्रम पर आम सभा में विचार – विमर्श नहीं किया गया। साथ ही पहले से नियोजित कार्यक्रम की पर्ची चिपका दिया गया था।
4. किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया गया।
5. वर्ष 2011–12 के मनरेगा योजना में क्या–क्या काम हुआ उसका भी लेखा जोखा आम सभा में नहीं दिया गया। जिसकी मांग करने पर सभा में उपस्थित ग्रामीणों को मुखिया पति एवं मुखिया के ससुर द्वारा डराया – धमकाया गया।
6. आम सभा में उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर बी0पी0एल0, वृद्वा पेंशन के नाम पर करवा लिया गया।
7. मनरेगा में रोजगार गारंटी का काम मजदूर को न देकर मनमाने ढंग से दिया जाता है।

निर्णय

अभिलेख में संलग्न परिवाद –पत्र, परिवादी के बयान, उनके द्वारा सौंपे गये शपथ–पत्र, मुखिया ग्राम पंचायत अबजूगंज के बयान, मुखिया पति श्री राकेश कुमार साह के बयान, मुखिया श्रीमति जूही देवी के ससुर श्री शंकर साह के बयान, पंचायत रोजगार सेवक श्री प्रमोद कुमार शर्मा के बयान, पंचायत सचिव श्री कैलाश बिहारी सिंह के बयान तथा ग्राम पंचायत अबजूगंज के पंचायत सचिव श्री कैलाश बिहारी सिंह के द्वारा सौंपे गये दिनांक 02 अक्टूबर 2012

को आयोजित किये गये ग्राम सभा के कार्यवाही की छायाप्रति जो कुल 28 पन्ना में है, के अवलोकन एवं विवेचना करने के उपरान्त मैं डा0 मंसूर अहमद, इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि ग्राम पंचायत अबजूगंज (सुल्तानगंज) के ग्रामीणों के द्वारा जो परिवाद – पत्र ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार को भेजा गया था और जो जिलापदाधिकारी, भागलपुर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को जॉच करने हेतु हस्तांतरित किया गया है को लोकपाल (मनरेगा) भागलपुर के पदीय कार्य के तहत सम्यकरूपेण विचारोपरांत सत्य घोषित कर दिया जाय। साथ ही मैं, इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि

1) दिनांक 2 अक्टूबर 2012 को सम्पन्न ग्राम पंचायत – अबजूगंज (सुल्तानगंज) ग्राम सभा की कार्यवाही को अवैध घोषित किया जाना न्यायहित में युक्तिसंगत होगा। अस्तु दिनांक 2 अक्टूबर 2012 को सम्पन्न ग्राम सभा को अलोकतांत्रिक एवं अवैध घोषित किया जाता है। साथ ही यह आवश्यक प्रतिज्ञान होता है कि सुल्तानगंज प्रखंड के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत – अबजूगंज में आयोजित की जानेवाली प्रत्येक ग्राम सभा में प्रर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करते हुए अंचलअधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुल्तानगंज की मौजूदगी में ग्राम सभा का आयोजन सम्पन्न कराया जाना जनहित में होगा। ग्राम सभा का संचालन सरकारी नियमो के आलोक में किया जायेगा और प्रत्येक ग्रामीण जो आपत्ति या सुझाव देंगे उसे कार्यवाही में लिखा जायेगा। बैठक की कार्यवाही पंचायत सचिव लिखेगें अथवा उपके द्वारा इस कार्य हेतु किसी को दायित्व सौपा जायेगा, तो वह व्यक्ति कार्यवाही के अन्त में अपना नाम, पता व विवरण सहित हस्ताक्षर करेगा। गत वर्ष के लेखा – जोखा का विवरण प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे ग्रामीण के बीच जो बैठक में उपस्थित रहेगे, उन्हें इसकी प्रतिलिपि देखने हेतु दिवार पर चिपका दिया जायेगा। ताकि बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व ग्रामीण इसका अवलोकन कर सके। पंचायत के प्रत्येक वार्ड को चयनित योजनाओ में स्थान दिया जायेगा, और वार्ड सदस्य एवं उस ग्राम के इच्छुक व्यक्ति को ग्राम सभा में बोलने का अवसर दिया जायेगा। साथ ही उनकी बातो को कार्यवाही पंजी में लिपिवद्व किया जायेगा। बैठक पूर्वाहृन 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक चलेगी। बीच में आधा घंटा के लिए भोजनावकाश होगा। ग्राम सभा के बैठक की कार्यकम तालिका समय सहित वितरित रहेगा। और समय के अनुरूप विषयवार चर्चा की जायेगी। बैठक के अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पूर्व सर्वसम्मति से मत विभाजन के द्वारा योजनाओ का चयन किया जाना नियमगत होगा। बैठक की सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी। अगर उपर्युक्त प्रकियाओं के अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ग्राम सभा की कार्यवाही स्वतः अवैध मानी जायेंगी।

2) पंचायत रोजगार सेवक श्री प्रमोद कुमार शर्मा तथा पंचायत सचिव श्री कैलाश बिहारी सिंह ग्राम पंचायत अबजूगंज (सुल्तानगंज) का स्थानान्तरण अन्य प्रखंड में किया जाना अत्यावश्यक प्रतीत होता है।

साथ ही पंचायत सचिव कैलाश बिहारी सिंह का हाउस रेन्ट काटकर बेतन का भुगतान किया जाय। क्योकि उन्होनें अपने बयान में स्वीकार किया है कि मैं पंचायत भवन में रहता हूँ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 से उनके द्वारा लिये गये हाउस रेन्ट की राशि की कटौती कर ली जाय। और उसे कोषागार में जमा करवाया जाय।

इस प्रकार आज शुक्रवार 27 सितम्बर 2013 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संधारित मनरेगा शिकायत वाद सं0 – 51/2013 को यथा निष्पादित किया जाता है।

27.9.13

(लोकपाल – मनरेगा)
भागलपुर

लोकपाल (मनरेगा)
भागलपुर

ज्ञापांक 153(क) /दिनांक 01-10-2013

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1) जिलापदाधिकारी, भागलपुर 2) उप विकास आयुक्त भागलपुर 3) आयुक्त भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर 4) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना 5) जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भागलपुर 6) कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सुलतानगंज 7) प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुलतानगंज 8) मुखिया ग्राम पंचायत अबजूगंज, सुलतानगंज 9) श्री नन्द किशोर राम (सरपंच) ग्राम कचहरी सुलतानगंज 10) प्रतिलिपि माननीय मंत्री, ग्रामीण विभाग बिहार सरकार, बिहार पटना को सूचनार्थ।

मंसूर अहमद 27-9.13 01-10-13

(लोकपाल – मनरेगा)

भागलपुर

डा० मंसूर अहमद

लोकपाल (मनरेगा)

भागलपुर